

The Number of discontinued Old-Age Pensions

***71. SH. NEERAJ SHARMA (FARIDABAD NIT):**

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) the number of old -age pensions made from the Parivar Pehchan Patra/Family Identity Card from 1st July, 22 till to date;
- b) the documents on the basis of which the old-age pension was made prior to the Parivar Pehchan Patra /Family Identity Card together with the document on the basis of which the age of beneficiaries was verified before Parivar Pehchan Patra along with the name of the officer by whom the age was verified;
- c) the process which is being adopted for making old-age pension from Parivar Pehchan Patra and the document on the basis of which the age is being verified together with the details thereof; and
- d) the district-wise details of the old-age pensions discontinued through Parivar Pehchan Patra togetherwith the basis of which the said pensions have been discontinued along with the details thereof?

SH. MANOHAR LAL,

CHIEF MINISTER

Sir, the reply is as under:-

Sr. No.	Questions	Reply
a)	the number of old-age pensions made from the Parivar Pehchan Patra/Family Identity Card from 1 st July, 22 till to date;	Total number of 39,175 Old Age Pensions has been sanctioned from 1 st July, 22 onwards till date (i.e. 13-03-2023) on pro-active basis after seeking consent of the beneficiary based on Parivar Pehchan Patra.
b)	the documents on the basis of which the old-age pension was made prior to the Parivar Pehchan Patra /Family Identity Card together with the document on the basis of which the age of beneficiaries was verified before Parivar Pehchan Patra along with the name of the officer by whom the age was verified;	<p>In this regard, it is submitted that following documents were required to sanction the old age pension prior to Parivar Pehchan Patra:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. The applicant of domicile and resident of Haryana State for last 15 years or more had to submit any of the documents like Ration Card, Voter ID Card, Voter list, Pan Card, Driving license, Passport, Electricity/Water bill, documents of land/house/ LIC Policy/registered rent deed of rented house or Domicile Certificate of Haryana for proving his domicile.2. His/her income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed Rs. 2,00,000/- per annum.3. Birth certificate issued by Health Department /School Certificate/Driving License issued before 16.06.2016 /Passport/ Pan card with self photo issued on or before the year 2005/ voter ID card/ with self photo voter list, applicant can submit any one of these documents for assessing his/her age. <p>If applicant is not able to provide any of the documents related to age then he can provide his son/daughter birth certificate/ School Certificate showing 40 years of age issued by Health Department/School. The school leaving certificate or any certificate regarding date of birth issued on plain paper by the school is not acceptable.</p> <p>And in case an unmarried/issueless applicant who does not have any document mentioned above then</p>

		<p>concerned District Social Welfare Officer (DSWO) shall refer his case to a team of two doctors constituted in District Civil Hospital for assessing the age of applicant.</p> <p>All the documents required for sanctioning of Old Age Pension were to be verified by concerned District Social Welfare Officer. With the launch of Pro-active benefit delivery, the documents are no longer required and the process has been simplified.</p>
c)	<p>the process which is being adopted for making old-age pension from Parivar Pehchan Patra and the document on the basis of which the age is being verified together with the details thereof; and</p>	<p>The Standard Operating Procedure (SOP)/ process followed for proactive service delivery of Old Age Samman Allowance through Parivar Pehchan Patra (PPP) is enclosed at Annexure-1 in respect of Citizen Resource Information Department (CRID).</p> <p>The following documents are accepted electronically by Citizen Resource Information Department (CRID) for proof of age for Old Age Pension in PPP:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birth certificate 2. School leaving certificate along with school records showing the name. 3. Matric certificate. 4. Voter ID card issued on or before 2017.
d)	<p>the district-wise details of the old-age pensions discontinued through Parivar Pehchan Patra togetherwith the basis of which the said pensions have been discontinued along with the details thereof?</p>	<p>Old Age Pension of total number of 22,198 beneficiaries' stands discontinued on the basis of Parivar Pehchan Patra data. The district wise detail as on 13.03.2023 is available at Annexure-2 in respect of Social Justice, Empowerment, Welfare of SC & BC and Antyodaya (SEWA), Department.</p>



Government of Haryana

SOP (Standard Operating Procedure)

(For proactive service delivery of Old Age Samman Allowance)

08th June 2022



Parivar Pehchan Patra

Citizen Resource Information Department

Government of Haryana

SOP for proactive service delivery of Old Age Samman Allowance

a. Purpose: This process shall be followed for proactive service delivery of Old Age Samman Allowance through Parivar Pehchan Patra

b. Stakeholders: Following are the key stakeholders for the process:

Sno	Name of the stakeholder	Type
1	CRID	Owner
2	Social Justice & Empowerment Department, Haryana	Stakeholder

c. Process:

S.no	Details	Responsibility
SHORTLISTING ELIGIBLE BENEFICIARIES		
1	<p>On the 1st day of each month, FIDR shall identify all such citizens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • who are turning 60 years of age in next 3 months as per their data present in FIDR. • who are 60 years or more and who are either not an active beneficiary of Old Age Samman Allowance or have not denied to receive the allowance from Government. 	CRID
2	<p>For all citizens identified in Step 1, their data of family income and age, whichever is "NOT VERIFIED" in FIDR, shall be pushed for verification as per the following process:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In case Age is not verified, the citizen details are pushed to the team lead of the respective Local Committee of the citizen for verification. The team lead verifies the age of the citizen through a documentary proof provided by the citizen & uploads the same on the DOB verification app. • In case Income is not verified, the family data is pushed to the respective Local Committee of the citizen for verification. The family income, as calculated through the process laid down for the same in FIDR basis the inputs received from Local Committee members, is marked as verified income in FIDR 	CRID
3	The data pertaining to all such shortlisted citizens whose date of birth and income are "VERIFIED" in FIDR shall be shared with the Social Justice Department through an API based mechanism	CRID
4	Social Justice Department shall check whether the citizen is already present as an inactive beneficiary of the Old Age Samman Allowance in their database. In case, the beneficiary is found as inactive, his/her Allowance shall be re-instantiated from the current month and the beneficiary shall be marked as	Social Justice Department

S.no	Details	Responsibility
	Active. The respective beneficiaries are notified through SMS regarding re-instantiation of their Old Age Samman Allowance.	
5	For the remaining shortlisted citizens, the department shall obtain the consent of the citizens for application of Old Age Samman Allowance as per the process (preferably online) laid down by the Department. For all positive responses received (wherein citizen opts for the Allowance), the department shall initiate the process for registration of new beneficiaries in Old Age Samman Allowance as per their existing process.	Social Justice Department
6	All responses received against the shortlisted citizens in Step 5 shall be shared back with FIDR through an API based mechanism. FIDR shall mark the responses received for future reference.	CRID/ Social Justice Department
MARKING THE INELIGIBLE BENEFICIARIES		
7	On the 1st day of each month, FIDR shall also check for "VERIFIED" income of all active Old Age Samman Allowance beneficiaries & their spouses in FIDR	CRID
8	Incase the "VERIFIED" income of beneficiary & spouse is more than Rs. 2,00,000/-, FIDR shall share the data of such beneficiaries with the Department.	CRID
9	All such beneficiaries shall be marked as inactive in the Department database. The Allowance of all such beneficiaries shall be ceased from the specified month and the same shall be shared back with FIDR through an API based mechanism	Social Justice Department

District wise withheld Report as on date:- 13/03/2023 (Old Age Samman Allowance)								
Sr No	District	Total Old Age Pension still with held	Details/Reasons of Pension with held					
			Government Pensioner found Ineligible/ Died as per PPP & DSWO	HRMS Found Ineligible / Died as per PPP	Died Found Ineligible as per PPP	Found Ex-service men Ineligible / Died as per PPP / DSWO	Income issue found Ineligible / Died as per PPP	Died identified by Saksham Yuva
1	AMBALA	668	94	4	167	6	395	2
2	BHIWANI	871	70	0	182	0	381	238
3	CHARKHI DADRI	350	65	1	63	0	220	1
4	FARIDABAD	494	36	1	67	1	326	63
5	FATEHABAD	923	42	1	138	2	736	4
6	GURUGRAM	605	55	2	62	0	195	291
7	HISAR	1793	122	1	303	0	465	902
8	JHAJJAR	977	105	1	128	0	427	316
9	JIND	1809	102	2	207	0	481	1017
10	KAITHAL	1281	56	15	182	0	465	563
11	KARNAL	903	132	7	102	2	660	0
12	KURUKSHETRA	1658	66	18	221	0	647	706
13	MAHINDERGARH	624	101	1	118	13	391	0
14	MEWAT	240	23	1	28	0	104	84
15	PALWAL	356	73	11	50	0	222	0
16	PANCHKULA	155	7	0	40	0	66	42
17	PANIPAT	595	72	1	118	0	301	103
18	REWARI	509	77	3	64	0	312	53
19	ROHTAK	1481	134	4	144	0	400	799
20	SIRSA	1221	36	0	134	2	911	138
21	SONIPAT	1985	152	6	268	0	538	1021
22	YAMUNANAGAR	2700	77	2	159	803	411	1248
	Total	22198	1697	82	2945	829	9054	7591

बंद की गई वृद्धावस्था पेंशन की संख्या

***71: श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) 1 जुलाई, 2022 से आज तक परिवार पहचान पत्र/ फ़ैमिली आईडेंटिटी कार्ड से बनी बुढ़ापा पेंशन की संख्या कितनी है; तथा

ख) दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर परिवार पहचान पत्र/ फ़ैमिली आईडेंटिटी कार्ड से पहले बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी तथा वे दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर परिवार पहचान पत्र से पहले आयु सत्यापित की गई थी तथा उस अधिकारी का नाम क्या है जिसने आयु सत्यापित की थी;

ग) प्रक्रिया क्या है जिससे परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए अपनाया जा रहा है तथा दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर आयु सत्यापित की जा रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

घ) परिवार पहचान पत्र द्वारा बंद हुई बुढ़ापा पेंशनों का जिलावार ब्यौरा क्या है तथा आधार क्या हैं जिससे उक्त पेंशनों को बंद किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर लाल,

माननीय मुख्यमंत्री

महोदय, उत्तर इस प्रकार हैं -

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	1 जुलाई, 2022 से आज तक परिवार पहचान पत्र/ फ़ैमिली आईडेंटिटी कार्ड से बनी बुढ़ापा पेंशन की संख्या कितनी है; तथा	परिवार पहचान पत्र अनुसार लाभार्थियों की सहमति उपरान्त सक्रिय आधार पर 1 जुलाई, 2022 से अब तक (अर्थात् 13.03.2023) कुल 39,175 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है
ख)	दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर परिवार पहचान पत्र/ फ़ैमिली आईडेंटिटी कार्ड से पहले बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी तथा वे दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर परिवार पहचान पत्र से पहले आयु सत्यापित की गई थी तथा उस अधिकारी का नाम क्या है जिसने आयु सत्यापित की थी;	इस संबंध में, यह लिखा जाता है कि:- परिवार पहचान पत्र की शुरुआत से पूर्व वृद्धावस्था पेंशन कि स्वीकृति निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर की जाती थी:- 1. आवेदक का 15 वर्ष से अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेजों जैसे की- राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, बिजली/पानी के लिए बिल मकान अथवा जमीन के कागजात/एल0आई0सी0 पोलिसी/ मकान किराये के संबंध में पंजीकृत डीड या स्थाई निवासी प्रामाण पत्र इत्यादि में से आवेदक से

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
		<p>उसके डोमिसाईल (Domicile) साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज लिया जाना है ।</p> <p>2. पुरुष/स्त्री की सभी स्रोतों से उसका/उसकी या पत्नी/पति दोनों की आय मिलाकर रू0 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>3. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रामाण पत्र /स्कूल प्रामाण पत्र/ दिनांक 16.06. 2016 से पूर्व जारी किया गया ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटोयुक्त पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त मतदाता सूचि में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन हेतु कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता है।</p> <p>यदि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या फिर आवेदक की आयु में संदेह है तो संतान की 40 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है। विद्यालय छोड़ने का प्रामाण पत्र अथवा स्कूल द्वारा साधारण कागज पर दर्ज की गई जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाये।</p> <p>यदि प्रार्थी द्वारा आयु के संबंध में उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज में दर्शाई गई आयु या दस्तावेज के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी को किसी स्तर पर भी संदेह होता है तो वह प्रार्थी से उसकी आयु के संबंध में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी मांग सकता है।</p> <p>अविवाहित/संतानहीन आवेदक, यदि उसके पास अपनी जन्मतिथि से संबंधित उपरोक्त वर्णित में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु के आंकलन हेतु मामला जिला के सिविल अस्पताल में गठित दो डाक्टरों की टीम को भिजवाया जायेगा।</p> <p>वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति से सभी आवश्यक दस्तावेज को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता था। सक्रिय लाभ वितरण शुरू करने उपरान्त अब इन</p>

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
		दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
ग)	प्रक्रिया क्या है जिससे परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए अपनाया जा रहा है तथा दस्तावेज क्या है जिनके आधार पर आयु सत्यापित की जा रही है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा	परिवार पहचान पत्र (पी०पी०पी०) के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की सक्रिय सेवा वितरण के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०)/प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) से संबंधित अनुलग्नक-1 पर संलग्न है। पी०पी०पी० में आयु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) द्वारा स्वीकार किए जाते हैं:- 1. जन्म प्रमाण पत्र 2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र स्कूल रिकॉर्ड के साथ नाम दिखा रहा हो। 3. मेट्रीक प्रमाण पत्र। 4. 2017 को या उससे पहले जारी किया गया वोटर आई०डी० कार्ड।
घ)	परिवार पहचान पत्र द्वारा बंद हुई बुढ़ापा पेंशनों का जिलावार ब्यौरा क्या है तथा आधार क्या हैं जिससे उक्त पेंशनों को बंद किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है?	परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर कुल 22,198 लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन अभी भी स्थगित है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछडा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा), विभाग से संबंधित जिलावार विवरण दिनांक 13.03.2023 की स्थिति अनुसार अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।



हरियाणा सरकार

एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया)
(वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के सक्रिय सेवा वितरण के लिए)
08 जून 2022



परिवार पहचान पत्र
नागरिक संसाधन सूचना विभाग
हरियाणा सरकार

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के सक्रिय सेवा वितरण के लिए एसओपी

क. उद्देश्य: परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के सक्रिय सेवा वितरण के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

बी. हितधारक : प्रक्रिया के लिए प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं:

क्र.सं	हितधारक का नाम	प्रकार
1	क्रीड	मालिक
2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा	हितधारक

सी. प्रक्रिया:

क्र.सं	विवरण	ज़िम्मेदारी
पात्र लाभार्थियों की छंटनी		
1	<p>प्रत्येक माह के पहले दिन, एफआईडीआर ऐसे सभी नागरिकों की पहचान करेगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • जो FIDR में मौजूद उनके डेटा के अनुसार अगले 3 महीनों में 60 साल की उम्र के हो रहे हैं। • जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो या तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के सक्रिय लाभार्थी नहीं हैं या जिन्होंने सरकार से भत्ता प्राप्त करने से इनकार नहीं किया है। 	क्रीड
2	<p>चरण 1 में पहचाने गए सभी नागरिकों के लिए, उनकी पारिवारिक आय और आयु का डेटा, जो भी FIDR में "सत्यापित नहीं" है, को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन के लिए धकेला जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयु सत्यापित नहीं होने की स्थिति में, नागरिक विवरण सत्यापन के लिए नागरिक की संबंधित स्थानीय समिति की टीम लीड को भेज दिया जाता है। टीम लीड नागरिक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से नागरिक की आयु का सत्यापन करती है और उसे DOB सत्यापन ऐप पर अपलोड करती है। • अगर आय सत्यापित नहीं है, तो परिवार के डेटा को सत्यापन के लिए नागरिक की संबंधित स्थानीय समिति को भेज दिया जाता है। पारिवारिक आय, जैसा कि एफआईडीआर के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से गणना की जाती है, स्थानीय समिति के सदस्यों से प्राप्त इनपुट को एफआईडीआर में सत्यापित आय के रूप में चिह्नित किया जाता है। 	क्रीड
3	<p>ऐसे सभी शॉर्टलिस्ट किए गए नागरिकों से संबंधित डेटा जिनकी जन्मतिथि और आय FIDR में "सत्यापित" हैं, उन्हें एपीआई आधारित तंत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग के साथ साझा किया जाएगा।</p>	क्रीड

क्र.सं	विवरण	ज़िम्मेदारी
4	सामाजिक न्याय विभाग यह जांच करेगा कि नागरिक अपने डेटाबेस में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में पहले से मौजूद है या नहीं। यदि लाभार्थी निष्क्रिय पाया जाता है, तो उसका भत्ता चालू माह से फिर से शुरू किया जाएगा और लाभार्थी को सक्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। संबंधित लाभार्थियों को उनके वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की पुनः स्थापना के संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।	सामाजिक न्याय विभाग
5	शेष शॉर्टलिस्ट किए गए नागरिकों के लिए, विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (अधिमानत: ऑनलाइन) के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के आवेदन के लिए नागरिकों की सहमति प्राप्त की जाएगी। प्राप्त सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए (जहां नागरिक भत्ता का विकल्प चुनते हैं), विभाग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए उनकी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया शुरू करेगा।	सामाजिक न्याय विभाग
6	चरण 5 में चुने गए नागरिकों के खिलाफ प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं को एपीआई आधारित तंत्र के माध्यम से एफआईडीआर के साथ साझा किया जाएगा। एफआईडीआर भविष्य में संदर्भ के लिए प्राप्त प्रतिक्रियाओं को चिह्नित करेगा।	क्रीड /सामाजिक न्याय विभाग
अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित करना		
7	प्रत्येक महीने के पहले दिन, FIDR में सभी सक्रिय वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों और उनके जीवनसाथी की "सत्यापित" आय की भी जाँच FIDR में करेगा।	क्रीड
8	यदि लाभार्थी और पति/पत्नी की "सत्यापित" आय रुपये से अधिक है। 2,00,000/- , FIDR ऐसे लाभार्थियों का डेटा विभाग के साथ साझा करेगा।	क्रीड
9	ऐसे सभी लाभार्थियों को विभाग के डेटाबेस में निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ऐसे सभी लाभार्थियों का भत्ता निर्दिष्ट महीने से समाप्त कर दिया जाएगा और इसे एपीआई आधारित तंत्र के माध्यम से एफआईडीआर के साथ वापस साझा किया जाएगा।	सामाजिक न्याय विभाग

अनुलग्नक "2"

जिलेवार रोकी गई (वृद्धावस्था सम्मान भत्ता) रिपोर्ट दिनांक 13.03.2023 तक								
क्र० सं०	जिला	रोकी गई कुल पेंशन	धारित पेंशन का कारण/विवरण					
			पी०पी०पी० तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार सरकारी पेंशन भोगी अपात्र/मृतक मिले	पी०पी०पी० अनुसार एच०आर०एम०एस० में मिले अपात्र/मृतक	पी०पी०पी० के अनुसार अपात्र/मृतक मिले	पी०पी०पी० तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार भूतपूर्व सैनिक अपात्र/मृतक मिले	ईनकम के कारण अपात्र मिले	सक्षम युवा द्वारा मृतक की शिनाख्त में मिले
1	अम्बाला	668	94	4	167	6	395	2
2	भिवानी	871	70	0	182	0	381	238
3	चरखी दादरी	350	65	1	63	0	220	1
4	फरीदाबाद	494	36	1	67	1	326	63
5	फतेहाबाद	923	42	1	138	2	736	4
6	गुरुग्राम	605	55	2	62	0	195	291
7	हिसार	1793	122	1	303	0	465	902
8	झज्जर	977	105	1	128	0	427	316
9	जीन्द	1809	102	2	207	0	481	1017
10	कैथल	1281	56	15	182	0	465	563
11	करनाल	903	132	7	102	2	660	0
12	कुरुक्षेत्र	1658	66	18	221	0	647	706
13	महेन्द्रगढ़	624	101	1	118	13	391	0
14	मेवात	240	23	1	28	0	104	84
15	पलवल	356	73	11	50	0	222	0
16	पंचकुला	155	7	0	40	0	66	42
17	पानीपत	595	72	1	118	0	301	103
18	रेवाड़ी	509	77	3	64	0	312	53
19	रोहतक	1481	134	4	144	0	400	799
20	सिरसा	1221	36	0	134	2	911	138
21	सोनीपत	1985	152	6	268	0	538	1021
22	यमुनानगर	2700	77	2	159	803	411	1248
	कुल	22198	1697	82	2945	829	9054	7591